# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या-डिक्री 267/2016**
**पंजीयन दिनांक 04.08.2016**

चुन्नीलाल पिता नवलशंकर जाति ब्राहम्ण मृतक के बजाय-
(1). मुकेश गोदपुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी होड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट

बनाम

(1). हीरालाल पिता हरिकिशन जाति माली निवासी होडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). जगन्नाथ पिता हरिकिशन जाति माली निवासी होडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
प्रकरण संख्या 48/1990 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2001

उपस्थित वक्त बहस-(1). भवानी सिंह राव-अधिवक्ता अपीलांट
(2). रतनलाल कुमावत - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

**निर्णय** **दिनांक 22.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा होड़ा तहसील भदेसर की आराजी संख्या 379, 381, 383, 437 कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पिता प्रतिवादी हरिकिशन के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। वादी अपीलांट ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पिता प्रतिवादी हरिकिशन से दिनांक 01.12.1969 को आराजी संख्या 437 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की तभी से इस आराजी पर वादी अपीलांट का कब्जा चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। उक्त आराजी के पडौस पूर्व मे टोकिया का खेड़ा वाला वेणा गूजर का खेत, पश्चिम मे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाली सड़क, उत्तर मे काका रोडूजी का बीड एवं दक्षिण मे देवीलाल जी पुरोहित का बीड। प्रतिवादी द्वारा उक्त चारों पडौसान के मध्य की कृषि आराजीयात का बयनामे मे उक्त कृषि आराजी के सभी पडौस सही रूप से दर्ज है परन्तु गलती से आराजी संख्या 437 के बजाय 379 पंजीकृत बयनामे मे अंकित कर दिया गया है। आराजी संख्या 437 पर वादी अपीलांट का खरीद दिनांक से बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादी अपीलांट पिछले 21 वर्षो से उक्त कयशुदा कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। जिससे वादी अपीलांट की उक्त पडौसान के मध्य की कयशुदा आराजी संख्या 437 जिसके बयनामे मे 437 के बजाय आराजी नम्बर 379 गलत तरीके से दर्ज हो गए है जिससे वादी अपीलांट कृषि आराजी सख्या 437 जिसके पडौसान उक्तानुसार दर्ज किये गए है जो कि बयनामे मे भी उक्तानुसार पडौस अंकित है, को अपने नाम राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित कराने का अधिकारी है। उक्त कृषि आराजी संख्या 437 वर्तमान मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है और यह आराजी घोसुण्डा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र मे आ रही है जिसका मुआवजा हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड द्वारा, अतिरिक्त जिलाधीश चित्तौड़गढ़ के द्वारा अदा किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 उक्त कृषि आराजी अपने नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाने की नीयत से उक्त कृषि आराजीयात का मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जो गैर कानूनी होने से प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह उक्त कृषि आराजीयात का मुआवजा किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं करे। अन्त मे मौजा होडा तहसील भदेसर की आराजी संख्या 437 जिसके पडौस उक्तानुसार अंकित किये गये है तथा बयनामे मे भी अंकित चारों पडौसान के मध्य की कृषि आराजी संख्या 437 को वादी अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादी अपीलान्ट व गवाह फोज सिंह, मदनलाल व गणेश के बयान लेखबद्ध किये गये तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट हरिकिशन व गवाह नारायण एवं मांगीलाल के बयान लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.03.2001 को गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र साबित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी के पिता से 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि आराजीयात तत्समय दर्ज आराजी संख्या 437 तथा जिसके नये भू-प्रबन्ध के बाद आराजी संख्या 609 को दिनांक 01.12.1969 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कीमतन 600/- रूपये अदा कर क्रय की। उक्त क्रयशुदा कृषि आराजीयात विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1969 मे उक्त कृषि आराजी के चारो पडौस पूर्व मे टोकिया का खेड़ा वाला वेणा गूजर का बीड, पश्चिम मे सड़क चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाली, उत्तर मे काका रोडूजी का बीड एवं दक्षिण मे देवीलाल जी पुरोहित का बीड विक्रय पत्र के अनुसार अंकित है। अपीलांट वादी उक्त क्रयशुदा आराजी संख्या 437 पर दिनांक 01.12.1969 से ही निरंतर व शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है किन्तु उक्त क्रयशुदा आराजी के विक्रय पत्र मे भूलवश वास्तविक आराजी संख्या 437 के बजाय 379 लिख दिया गया और इसी भूल को सुधार कर सही आराजी संख्या राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित कर अपीलांट वादी को उक्त कृषि आराजी का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहने बाबत अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया और इसी दरम्यान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता प्रतिवादी का स्वर्गवास हो गया जिसके दो पुत्र रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 तथा चार लड़कियां कमली, प्यारी, वरजू व परथू है। मृतक प्रतिवादी की इन चारो लड़कियों ने विरासत से प्राप्त कृषि आराजीयात को जरिये हक परित्याग अपने दोनो भाईयों रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के नाम हस्तांतरित किये जाने से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार मुकदमा कायम किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के पक्ष मे एवं अपीलांट वादी के विरूद्ध निर्णित कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 2 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1969 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता प्रतिवादी के पक्ष मे एवं अपीलांट वादी के विरूद्ध निर्णित कर विधिक भूल की है, क्योंकि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1969 के आधार पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पिता प्रतिवादी ने आराजी संख्या 437 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिफल प्राप्त कर अपीलांट वादी को विक्रय की है। इस विक्रय पत्र मे उल्लेखित व्यक्तियों ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

उप पंजीयक ने विकेता प्रतिवादी को पहचाना है और मृतक प्रतिवादी ने उप पंजीयक के समक्ष विक्रय पत्र मे अंकित समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए विक्रय पत्र मे अंकित कृषि आराजीयात का कब्जा अपीलांट वादी को सुपुर्द करना अंकित किया है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र पर विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर है तथा विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने इस पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना उप पंजीयक के सामने स्वीकार किया तथा अपीलांट वादी केता ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे हुए बयानों मे उक्त हस्ताक्षर विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के होना पहचाना है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 67 से पूर्ण रूप से बाधित है। अपीलांट वादी ने विकेता प्रतिवादी के हस्ताक्षरों को न्यायालय के समक्ष पहचाना है और अपने बयानों मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षरों को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पहचाना है और अपने बयानों मे यह कथन किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के ही है। इस प्रकार अपीलांट वादी स्वयं ने विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षरों को दौराने साक्ष्य अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पहचाना है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 के अुनसार अपीलांट वादी स्वयं ने विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को हस्ताक्षर करते हुए देखा है, अपीलांट वादी स्वयं चश्मदीद गवाह है, जो जिरह के दौरान खण्डित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट स्वयं ने उप पंजीयक के सामने उपस्थित होकर बयान दिए है जिनको उप पंजीयक के द्वारा लेखबद्ध किया गया है जो पंजीयन अधिनियम की धारा 60 के अनुसार है। साथ ही उप पंजीयक के सामने विकेता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने जो स्वीकारोक्ति दी है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 67 के अनुसार है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्ल्यु 1986 पेज 611, ए.आई.आर. 1981 मध्यप्रदेश पेज 1969, ए.आई.आर. 1950 टी.सी. पेज 19 प्रस्तुत किया जाकर अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य वादी मे वादी अपीलांट व गवाह फोज सिंह मदनलाल व गणेश के बयान लेखबद्ध किये गये तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट व गवाह नारायण एवं मांगीलाल के बयान लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 17.03.2001 को गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भिलवाड़ा (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता हरिकिशन के विरूद्ध पंजीकृत बहनामा दिनांक 01.12.1969 के अनुसार मोजा होडा तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 437 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि आराजीयात की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की गई। तनकी सं. 1 व 2 वादी अपीलान्ट के जिम्मे नियत की गई। उक्त तनकी को अपीलान्ट वादी प्रमाणित कराने मे असफल रहना मानते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट वादी ने जिस विक्रय पत्र के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है उक्त विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1969 को पंजीकृत हुआ है। यदि विक्रय पत्र मे आराजी नम्बर का अंकन गलत हो गया था तो अपीलान्ट वादी अन्दर म्याद शुद्धि पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाकर आराजी नम्बर की शुद्धि करवा सकता था फिर भी अपीलान्ट वादी ने शुद्धि पत्र व नामान्तकरण का कोई प्रयास नही किया। 21 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र व विक्रय पत्र मे अंकित आराजी नम्बर 379 व आराजी नम्बर 437 का रकबा भिन्न-भिन्न होकर राजस्व रेकार्ड से मेल नही खाता है। अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात के कब्जे व सीमाओ को प्रमाणित नही करवाया है। इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने म्याद के सम्बन्ध मे अंकित किया है कि अपीलान्ट वादी का मानसिक संतुलन ठीक नही होने से वह अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत नही कर पाया जबकि इसी अवधि के दरम्यान अपीलान्ट चुन्नीलाल ने मुकेश के नाम पर दानपत्र व गोदनामा अलग-अलग तारीखो मे निष्पादित व पंजीकृत करवाये है। उक्त दस्तावेज भी संदेह के घेरे मे आते है फिर भी चुन्नीलाल का मानसिक संतुलन ठीक नही होना बताते हुए म्याद को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया गया है। पंजीकृत दानपत्र व पंजीकृत गोदनामा मे भी विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे कोई अंकन व वर्णन नही किया गया है। अपीलान्ट वादी विक्रय पत्र मे अंकित आराजी नम्बर 379 जिसका रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है व आराजी नम्बर 437 जिसके सम्बन्ध मे अपीलान्ट वादी घोषणा चाहता है उसका रकबा 1 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बिस्वा अंकित है। ऐसी स्थिति मे दावे मे अंकित आराजीयात का रकबा विक्रय पत्र से भिन्न है, जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे विक्रय पत्र के अनुसार वादपत्र मे अंकित आराजी व उसके पडौस प्रमाणित नही होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की अवैधानिकता नही की है। अपीलान्ट वादी की ओर से जो न्याय व्यवस्था आर.एल.डब्ल्यु 1986 पेज 611, ए.आई.आर. 1981 मध्यप्रदेश पेज 1969, ए.आई.आर. 1950 टी.सी. पेज 19 प्रस्तुत की है जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी के वादपत्र को अपीलान्ट वादी की उपस्थिति मे दिनांक 17.03.2001 को प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी ने दिनांक 03.08.2016 को 15 वर्ष के बाद म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु कानून म्याद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व चुन्नीलाल की मानसिक स्थिति सही नही होने के कथन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये है, साथ ही पंजीकृत गोदनामा व पंजीकृत दानपत्र जो चुन्नीलाल स्वंय ने मुकेश के पक्ष मे निष्पादित व पंजीकृत करवाये है जिससे धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज भी संदिग्ध व विरोधाभासी है। जिसमे वर्णित तथ्य भी विश्वसनीय व स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार योग्य नही होने से म्याद व गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 48/1990 निर्णय व डिकी दिनांक 17.03.2001 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

**अपील में डिक्री**

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 267/2016 /डिक्री

श्री चुन्नीलाल पिता नवलशंकर जाति ब्राह्मण मृतक के बजाय –
(1) मुकेश गोद पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी होड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री हीरालाल पिता हरिकिशन जाति माली निवासी होड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2) जगन्नाथ पिता हरिकिशन जाति माली निवासी होड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा दि. 17-3-2001
प्रकरण सं. 48/1990 अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 22-11-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रतनलाल कुमावत रेस्पो. सं. 1 व 2 व श्री महावीर सिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.-3 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –
अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 48/1990 निर्णय व डिक्री दिनांक 17-03-2001 यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ...—... रुपये हैं, ...—... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ...—... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 22-11-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 22-11-2022 अपील खर्चे :

| अपीलान्ट | रूपये | रेस्पोडेन्ट | रूपये |
|---|---|---|---|
| 1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प | | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. आदेशिकाओं की तामील | | 3. आदेशिकाओं की तामील | |
| 4. ................ रू. पर प्लीडर की फीस | | 4. ................ रू. पर प्लीडर की फीस | |
| योग | | योग | |